

आदेश

सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम खण्ड-1 के भाग -111 वित्तिय शक्तियो का प्रत्यायोजन भाग-11 आकस्मिक एवं विविध व्यय के आइटम संख्या 19 में प्रदत्त शक्तियो के तहत निम्नलिखित परियोजनाओ को पोषाहार क्रय करने हेतु आरटीपीपी नियम-2013 के नियम 32 की पालना करते हुए कुल आंवटित राशि तक व्यय करने की प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-


क्र.स.	ऑफिस आईडी	डीडी/परियोजना का नाम	अतिरिक्त आंवटन				कुल आंवटन (राशि लाखों में)
			61 आर टी ई (राशि लाखों में)		61 गरम पूरक पोषाहार(राशि लाखों में)		
			50% CA	50% SF	50% CA	50% SF	
मद: 2236-02-101-(01)-(01)-61							
1	23040	पोकरण	40.00	40.00	15.00	15.00	270.00
2	22801	राजगढ	40.00	40.00			220.00
3	22973	रायसिंहनगर	30.00	30.00			230.00
4	22854	वैर	30.00	30.00	8.00	8.00	256.00
5	22919	सुजानगढ	40.00	40.00			240.00
6	22954	धौलपुर शहरी	19.00	19.00			138.00
7	23182	लक्ष्मणगढ	40.00	40.00			200.00
8	23069	झुंझुनू शहर	25.00	25.00			170.00
9	23184	फतेहपुर शहर	20.00	20.00			140.00
10	23112	डीडवाना शहरी	18.00	18.00			126.00
11	23047	रानीवाडा	30.00	30.00			150.00
12	22805	उमरैण			10.00	10.00	200.00
13	22813	थानागाजी	50.00	50.00			260.00
14	23079	बालेसर	50.00	50.00	10.00	10.00	270.00
15	23129	खारची	40.00	40.00			220.00
16	23192	आबूरोड शहरी	10.00	10.00	1.50	1.50	133.00
17	23147	राजसमंद ग्रामीण	40.00	40.00			200.00
18	22797	पीसांगन	30.00	30.00	5.00	5.00	200.00
19	23121	बाली			10.00	10.00	140.00
20	23180	दांतारामगढ	40.00	40.00			230.00
21	22840	बायतु			10.00	10.00	220.00
22	22793	ब्यावर शहर	20.00	20.00			120.00
23	23124	रायपुर	30.00	30.00	2.00	2.00	184.00
24	22944	बांदीकुई द्वितीय	30.00	30.00			200.00
25	23093	इटावा	30.00	30.00	8.00	8.00	196.00
26	22942	लालसोट	50.00	50.00			320.00
27	22869	भीलवाडा शहर	15.00	15.00	7.00	7.00	114.00
28	22804	कटूमर	35.00	35.00			250.00
29	22802	अलवर शहर			4.00	4.00	68.00
30	23013	जयपुर-11			8.00	8.00	86.00
31	23033	आमेर	30.00	30.00	8.00	8.00	186.00
32	22976	अनूपगढ	40.00	40.00	8.00	8.00	326.00

33	22977	अनूपगढ- II			8.00	8.00	236.00
34	22980	सूरतगढ	25.00	25.00	8.00	8.00	166.00
35	22897	चित्तौडगढ ग्रामीण	40.00	40.00	8.00	8.00	286.00
36	23152	खमनौर	50.00	50.00			250.00
37	23039	जयपुर चतुर्थ			5.00	5.00	80.00
38	23049	चित्तलवाना	40.00	40.00			200.00
39	23102	जायल	35.00	35.00			250.00
40	22926	तारानगर			10.00	10.00	250.00
41	22950	बाडी	60.00	60.00	10.00	10.00	280.00
42	23178	श्रीमाधोपुर	30.00	30.00			180.00
43	22871	सुवाणा	25.00	25.00			170.00
44	22865	सहाडा	20.00	20.00			130.00
45	23176	खण्डेला	25.00	25.00			160.00
46	22790	भिनाय	30.00	30.00	10.00	10.00	240.00
योग			1252.00	1252.00	173.50	173.50	
मद: 2236-02-796-(01)-(01)-61							
1	22819	कुशलगढ	100.00	100.00	15.00	15.00	450.00
2	22968	गामडी अहाडा (बिछीवाडा- II)	15.00	15.00	4.00	4.00	148.00
3	23139	प्रतापगढ प्रथम	30.00	30.00			170.00
4	23208	झाडोल			10.00	10.00	40.00
योग			145.00	145.00	29.00	29.00	

उक्त राशि का व्यय सामान्य वित्तिय लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-2013 की पालना करते हुए किया जावे।

उक्त आंवटित राशि का उपयोग राजीविका एवं अमृता सोसाइटी से पंजीकृत स्वयं सहायता समूह से कय किये गये पोषाहार में ही किया जावे।

यह स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की आई डी संख्या 1954 दिनांक 22.11.2018 से अनुमोदित है।



(सुषमा अरोडा)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.3(82)/पोषा/अतिबजटआंव/ICDS/2018/202428-450

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
- 2 निजी सचिव, निदेशक महोदया, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
- 3 वित्तिय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को बजट आंवटन हेतु।
- 4 एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 संबंधित परियोजना।


(जिज्ञासा गौड)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)